International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.712 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 8, Issue 5, September 2021 |

भारत में जिला प्रशासन का महत्व

Dr. Manna Lal Meena

Associate Professor, Public Administration, Government College, Bassi, Jaipur, Rajasthan, India

सार

जिला प्रशासन द्वारा सभी तरह की नागरिक सुविधाएं और सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचती है। जिला प्रशासन में कई विभाग कार्य करते हैं जो केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है जो सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।

परिचय

33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हमारे लोकतान्त्रिक देश की शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए करोडों, लाखों, हजारों, सैकड़ों कर्मचारियों की आवश्यकता होती है । 28 राज्यों, 7 केन्द्रशासित प्रदेशों में बंटे हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए हमारे देश की सीमा विशाल है ।

भौतिक तथा मानवीय परिस्थितियों में एक उममहाद्वीप की तरह लगने वाले इस देश की सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था को प्रत्येक गांव तथा नगर तक चलाने के लिए कई इकाइयां मिलकर कार्य करती हैं । जिले की महत्त्वपूर्ण इकाई के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है, उसे जिला प्रशासन कहा जाता है ।[1,2,3]

कार्य, शाक्तियां एवं महत्त्व:

जिला प्रशासन के 3 प्रमुख कार्य हैं:

1. शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना ।

2. जिले में विद्यमान भूमि का रिकार्ड रखना और किसानों से भूमि कर वसूलना ।

3. नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान कर सभी क्षेत्रों में जिले का विकास करना । जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधीश या कलेक्टर होता है । वह जिले के सभी कार्यो की देखरेख करता है ।

इसके अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट, थानेदार, जेलर, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी, कृषि जिला अधिकारी इत्यादि कार्य करते हैं । किसी भी कलेक्टर की सफलता का मापदण्ड इस बात पर निर्भर करता है कि वह जिले में शान्ति-व्यवस्था किस प्रकार बनाये रखता है ।

प्रत्येक जिले में 5 या 6 सर्किल होते हैं । प्रत्येक सर्किल का प्रमुख डिप्टी सुपरिटेण्डेण्ट होता है, जिसमें 10 थाने होते हैं । एक पुलिस इंसपेक्टर इसका प्रमुख होता है । इसके अधीन सबइंसपेक्टर, सिपाही, चौकीदार होते हैं । प्रत्येक जिले में एक जेल होती है, जिसका प्रमुख जेलर होता है । एक डिप्टी जेलर भी होता है ।

जिला प्रशासन का दूसरा प्रमुख कार्य भूमि सम्बन्धी कार्यों की देखभाल व कर वसूली है । तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी सभी जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव आदि की कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण, नाप, पैदा होने वाली उपज, लगान आदि ब्यौरा रखते हैं । पटवारी 3 से 4 गांवों का ब्यौरा रखता है । प्रशासन अकाल, महामारी तथा बाढ़ आदि के समय नागरिकों की सहायता करता है ।

नागरिक सुविधाओं और विकास के अन्तर्गत जिला प्रशासन दवाखानों का प्रबन्ध करता है । शिक्षा विभाग की देखभाल, निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी का होता है । सरकारी इमारतों का निर्माण व देखरेख की जिम्मेदारी लोकनिर्माण विभाग की है । इसका प्रमुख कार्यपालन यन्त्री होता है । कलेक्टर पंचायती राज तथा अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध व नियन्त्रण भी करता है ।

भूमि, सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद, दीवानी तथा फौजदारी अदालतों में निबटाये जाते हैं । दीवानी न्यायालयों का सीधा सम्बन्ध जायदाद, रुपयों के लेन-देन से तथा फौजदारी का चोरी, मारपीट, हत्या से होता है । जिला जज दोनों न्यायालयों का निरीक्षण करता है । दीवानी न्यायालय में सिविल जज, तो फौजदारी में सेशन जज का न्यायालय सबसे बड़ा होता है । सेशन जज की अदालत के नीचे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट होते हैं । प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट 2 वर्ष की सजा तथा का जुर्माना कर सकता है ।

द्वितीय श्रेणी का 6 माह की सजा और 200 रुपये का जुर्माना तथा तृतीय श्रेणी का एक माह की सजा और 50 रुपये का जुर्माना कर सकता है । छोटे मुकदमे न्याय पंचायत के माध्यम से सुलझाये जाते हैं । जिले के सभी न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय की देखरेख में कार्य करते हैं ।[5,7]

विचार-विमर्श

प्रशासनिक दृष्टि से जिला स्तर की इकाई हेतु जिला प्रशासन अत्यन्त ही सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था है । शान्ति व्यवस्था तथा नागरिक सेवाओं और सुविधाओं की दृष्टि से यह एक आदर्श कार्यप्रणाली है । भूमि सम्बन्धी रिकार्डों द्वारा राज्य सरकारों को आर्थिक सहयोग भी देती है । जिला प्रशासन की सफलता कर्मचारियों की ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता पर आधारित है । वस्तुत: यह विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का लोकतन्त्रात्मक स्वरूप है । जिला प्रशासन में सुशासन का बहुत महत्व है। भारत में जिला क्षेत्र प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी इकाई है क्योंकि यह सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन के व्यावहारिक तरीकों से सुसज्जित एक उपयुक्त भौगोलिक इकाई है। इस स्तर को प्रशासनिक संरचना का 'धुरी' या 'अत्याधुनिक' स्तर भी कहा जा सकता है क्योंकि इसी स्तर पर सरकार अपने नागरिकों के सीधे संपर्क में आती है। सभी सरकारी एजेंसियों के कार्यक्रम और नीतियां जिला स्तर पर स्पष्ट रूप लेती हैं। जिला प्रशासन और जनता के बीच संपर्क का मुख्य बिंदु है। सभी कल्याणकारी गतिविधियाँ, योजना एवं विकास कार्य जिला स्तर पर किये जाते हैं। इसलिए जिला भारत में प्रशासन का नोडल बिंदु है। सुशासन का सीधा सा अर्थ है सभी प्रकार से सभी के कल्याण का ध्यान रखना। सुशासन में समाज के पूर्व निर्धारित वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए उच्च स्तर की संगठनात्मक दक्षता और प्रभावशीलता शामिल है। यदि जिला स्तर पर सुशासन प्राप्त हो जाता है, तो प्रशासन नागरिकों की समस्याओं को सही और आसान तरीके से हल कर सकता है क्योंकि जिला स्तर पर लोग सीधे प्रशासन के संपर्क में आते हैं। वर्तमान पेपर जिला स्तर पर सुशासन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नई परियोजनाओं/योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहा है और इन परियोजनाओं/योजनाओं की समस्याओं के बारे में भी बात करता है और सुझाव देता है।[3,5]

कलेक्टर जिला प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी है। कलेक्टर विकास और नियामक दोनों क्षेत्रों की देखभाल करता है और उसके तीन प्रमुख कार्य हैं: राजस्व, मजिस्ट्रियल और विकासात्मक।

राजस्व प्रशासन के अलावा कलेक्टर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में मजिस्ट्रियल कर्तव्य शामिल हैं। जिले में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है क्योंकि वह जिले में कानून और व्यवस्था प्रशासन के प्रभारी हैं।

हाल के दशकों में विकास प्रशासन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वह जिला स्तर पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

कलेक्टर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिले में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुचित कार्य को सुनिश्चित करना कलेक्टर का कर्तव्य है।

कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे चुनाव का संचालन, जनगणना संचालन और स्थानीय सरकारी संस्थानों की निगरानी आदि में कलेक्टर एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। दरअसल, उनकी जिम्मेदारियां इतनी व्यापक हैं कि जिला प्रशासन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां से वे जुड़े न हों।

जिला प्राचीन काल से ही भारत में प्रशासन की एक बुनियादी इकाई रहा है। सदियों से राजवंशों और शासनों के परिवर्तन ने प्रशासन की एक इकाई के रूप में जिले के प्राथमिक महत्व को प्रभावित नहीं किया।[7,8]

परिणाम

जिला प्रशासन के कार्य क्या हैं?

- कानून और व्यवस्था: कार्यों का पहला सेट शांति और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, जो जिले के पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं, और जिला मजिस्ट्रेट कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

- भूमि राजस्व: कार्यों का दूसरा सेट राजस्व प्रशासन से संबंधित है। जबकि भूमि प्रशासन, जिसमें भूमि अभिलेखों का प्रबंधन भी शामिल है, इस श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसमें भू-राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह, साथ ही अन्य सार्वजनिक बकाया का संग्रह भी शामिल है जो भू-राजस्व के बकाया के रूप में एकत्र किए जाते हैं।

- विकास: इनमें शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और वंचित समुदायों और समूहों का कल्याण शामिल है। इनमें से प्रत्येक कर्तव्य को जिले में एक अलग विभाग द्वारा संभाला जाता है, जिसका नेतृत्व एक विशेषज्ञ अधिकारी करता है।

- चुनाव: इसका तात्पर्य संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकारों के चुनाव कराने से है। चुनाव आयुक्त यह सुनिश्चित करने का प्रभारी है कि मतदाता पंजीकरण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया जाए।

- नगरपालिका प्रशासन: जिला कलेक्टर आम तौर पर शहरी स्थानीय अधिकारियों के उचित संचालन की देखरेख और सुनिश्चित करने का प्रभारी होता है। जिला कलेक्टर शहरी लोगों के लिए विभिन्न विकास और गरीबी-विरोधी नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

- आपातकालीन राहत: बाढ़, भूकंप, आकस्मिक आग, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों में, पूरा जिला प्रशासन खतरे से निपटने के लिए तैयार है, और डीसी विभिन्न विभागों की गतिविधियों के समन्वय और उचित कदम उठाने की जिम्मेदारी लेता है। लोगों के कष्ट दूर करें.

इसके साथ ही, यह प्रबंधन, नियामक कार्यों, भूमि अधिग्रहण, जनगणना, कोषागार, बजट, परिवहन आदि के लिए भी जिम्मेदार है। [9]

जिला प्रशासन संरचना की संरचना क्या है?
प्रशासन का पदानुक्रम जिला कलेक्टर से शुरू होता है, जो प्रशासन का प्रमुख होता है और अधिकांश कर्तव्यों और जिला प्रशासकों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की संरचना का भी पालन किया जाता है

- पुलिस अधीक्षक
- जिला चिकित्सा अधिकारी
- जिला स्वास्थ्य अधिकारी
- जिला वन अधिकारी
- सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार
- जिला कृषि पदाधिकारी.
- जिला उद्योग अधिकारी

- जिला न्यायाधीश
- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
- जेल अधीक्षक
- जिला श्रम पदाधिकारी

प्रत्येक प्रशासक की भूमिका

उप आयुक्त

- जिला कलेक्टर के रूप में, उपायुक्त मुख्य राजस्व अधिकारी होता है और भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य राजस्व और अन्य सरकारी बकाया एकत्र करने का प्रभारी होता है। वह मौसमी वर्षा, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटता है।
- पीपी अधिनियम के तहत, उपायुक्त सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के रूप में किए गए एसडीएम के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के रूप में कार्य करता है।
- उपायुक्त संसदीय, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए जिला चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
- जिला कलेक्टर के पास पंजीकरण अधिनियम के तहत डीड रजिस्ट्रार की शक्तियां हैं, और वह डीड के पंजीकरण के संचालन का प्रशासन और पर्यवेक्षण करता है।[8,9]

अतिरिक्त उपायुक्त

दैनिक आधार पर उपायुक्त का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त का पद स्थापित किया गया था। नियमों के मुताबिक अतिरिक्त उपायुक्त के पास उपायुक्त के समान ही शक्तियां होती हैं। उपायुक्त के लगातार बढ़ते कार्यभार को कम करने के लिए 1979 में अतिरिक्त उपायुक्त का पद स्थापित किया गया।

उप प्रभागीय न्यायाधीश

- अपने सब डिवीजन के भीतर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कर्तव्य लगभग उनके जिले के डिप्टी कमिश्नर के समान होते हैं। उसे सभी प्रशासनिक मामलों में उपायुक्त का प्राथमिक एजेंट होना चाहिए।
- वह सब डिवीजन के कई विकास प्रयासों के प्रभारी भी हैं और कई विभागों के प्रयासों के समन्वय के प्रभारी भी हैं।

तहसीलदार या नायबतहसीलदार

वित्तीय आयुक्त तहसीलदारों की नियुक्ति करते हैं, राजस्व और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति संभागीय आयुक्त द्वारा की जाती है। तहसील या उपतहसील के भीतर उनकी ज़िम्मेदारियाँ लगभग समान और विविध हैं। इनके पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सहायक कलेक्टर, उप रजिस्ट्रार के अधिकार हैं।

कानूनगो

कानूनगो संगठन फील्ड कानूनगो, कार्यालय कानूनगो और जिला कानूनगो से बना है। प्रत्येक जिले में इसकी ताकत केवल सरकार की मंजूरी से ही बदली जा सकती है।

निष्कर्ष

"जिला प्रशासन" शब्द औपचारिक रूप से एक जिले के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्र के भीतर सरकारी जिम्मेदारियों के प्रबंधन को संदर्भित करता है। ग्रामीण जिले, औद्योगिक जिले, पिछड़े जिले, शहरी जिले और पहाड़ी जिले भारत में जिलों की पांच श्रेणियां हैं।[10]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "Archived copy". मूल से 6 July 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-07-05. States and Union Territories of India - Source - Government of India Official Website
2. ↑ "Archived copy". मूल से 15 April 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-03-25.

3. ↑ "Zonal Council |". mha.nic.in. मूल से 12 मई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2016-10-26.
4. ↑ "THE STATES REORGANISATION ACT, 1956 (ACT NO.37 OF 1956) PART – III ZONES AND ZONAL COUNCILS" (PDF). Interstatecouncil.nic.in. मूल से 17 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 27 December 2017.
5. ↑ "PRESENT COMPOSITION OF THE SOUTHERN ZONAL COUNCIL" (PDF). Interstatecouncil.nic.in. मूल से 17 फ़रवरी 2017 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 27 December 2017.
6. ↑ "Archived copy". मूल से 8 May 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2012-03-07.
7. ↑ "List of Mandals" (PDF). msmehyd.ap.nic.in. Andhra Pradesh State. मूल (PDF) से 11 September 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 September 2016.
8. ↑ "Names of Blocks of Jharkhand". Jharkhandi Baba (अंग्रेज़ी में). 2017-10-21. मूल से 21 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2017-10-21.
9. ↑ Indian Department of Drinking Water Supply Archived 21 जुलाई 2011 at the Wayback Machine
10. ↑ Indian Department of Education Archived 21 जुलाई 2011 at the Wayback Machine